

प्रेषक,

नेहा प्रकाश,
विशेष सचिव,
उ० प्र० शासन।

सेवा में,

उद्योग निदेशक,
कानपुर, उ०प्र०।

आईटी० एवं इलेक्ट्रानिक्स अनु०-2

लखनऊ: दिनांक: 15 जनवरी, 2021

विषय: यूपी स्वान 2.0 परियोजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2020.21 में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि
रु० 1000.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबंध निदेशक यूपीडेस्को के पत्र संख्या-3272 ,दिनांक 08-12-2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि यूपी स्वान 2.0 परियोजना के क्रियान्वयन हेतु लंबित देयता का भुगतान किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में पुनर्विनियोग के माध्यम से (संलग्न प्रपत्र बीएम-9 के अनुसार) धनराशि रु० 1000.00 लाख (रु० दस करोड़ मात्र) निर्गत करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है:-

1. उद्योग निदेशक द्वारा वित्त विभाग के आदेश संख्या-बी-1-417/10-2013-16/94, दिनांक 26 फरवरी, 2013 में दी गयी प्रक्रियानुसार सेंट्रल सर्वर के माध्यम से सम्बन्धित कोषागार को बजट आवंटन भेजे जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
2. उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5,भाग-1 के प्रपत्र संख्या-6(ए) (संशोधित) द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रबंध निदेशक,यूपीडेस्को द्वारा बिल बनाकर उसे संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल लखनऊ को प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।
3. उक्त धनराशि का लेखा-जोखा उद्योग निदेशक, कानपुर द्वारा अपने यहां भी रखा जायेगा।
4. बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य प्रबन्ध निदेशक यूपीडेस्को द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
5. जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसमे अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।
6. जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है, उसी मद में आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।
7. जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।
8. स्वीकृति धनराशि व्यय किये जाने से पूर्व प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24-3-2020, 07-04-2020, 11-04-2020 व 18-05-2020 द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
9. उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय उपरान्त प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार,उ०प्र० इलाहाबाद उद्योग निदेशक,कानपुर तथा आईटी एवं इले० अनुभाग-2 उ०प्र० शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

10. उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-7 उद्योग(भारी मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत लेखा शीर्ष "2852-उद्योग-07 दूरसंचार तथा इलेक्ट्रानिक्स उद्योग-202 इलेक्ट्रानिक्स -27 – शासकीय कार्यालयों में ई-ऑफिस व्यवस्था -42-अन्य व्यय में प्राविधानित धनराशि रू0 1000/- लाख से हो रही बचतो से अनुदान संख्या-7 उद्योग(भारी मध्यम उद्योग)के अन्तर्गत लेखा शीर्ष "2852-उद्योग-07 दूरसंचार तथा इलेक्ट्रानिक्स उद्योग-202-इलेक्ट्रानिक्स-25-यूपीस्टेट वाइड एरिया नेटवर्क-2 (यूपीस्वान-2)-42- अन्य व्यय में पुनर्विनियोग कर (संलग्न प्रपत्र बीएम-9 के अनुसार) वहन की जायेगी।
संलग्नक यथोक्त।

भवदीय,
नेहा प्रकाश
विशेष सचिव

संख्या-1/2021/1793 (1) /78-2-2020 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकर (लेखा परीक्षा), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन लखनऊ।
3. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ, उ0प्र0।
5. संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, यूपी0 डेवलपमेंट कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/नियोजन अनु0-4 ।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनु0-3/औद्योगिक विकास अनु0-2 ।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
बराती लाल
संयुक्त सचिव

11फार्म-बी.एम.-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिए आवेदन

(संदर्भ: बजट मैनुअल का प्रस्तर-158 देखें)

(इस प्रपत्र को भरने से पूर्व पीछे छपे अनुदेशों को भली भाँति देख लिया जाये)

**अनुदान संख्या व नाम: 007 उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) वित्तीय वर्ष: 2020-21 धनराशि लाख में
रु0 1000.00 लाख**

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण			वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा		
लेखाशीर्ष (15डिजिट कोड में) आयोजनागत/ आयोजनेत्तर	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/ विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
2852-उद्योग-07- दूर संचार तथा इलेक्ट्रानिक्स- उद्योग 202 - इलेक्ट्रानिक्स - 27- शासकीय कार्यालयों में ई- ऑफिस व्यवस्था-42 -अन्य व्यय	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	00.00

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण			वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा		
लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) आयोजनागत/ आयोजनेत्तर	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान / विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
2852-उद्योग-07- दूर संचार तथा इलेक्ट्रानिक्स- 202- इलेक्ट्रानिक्स- 25 यूपी स्टेटवाइड एरिया नेटवर्क-2 (यूपीस्वान- 2)-42-अन्य व्यय	0.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00

(1) स्तम्भ-3 में बचत का कारण निम्नानुसार है:-

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रु. 1000.00 लाख के शासकीय कार्यालयों में ई-ऑफिस व्यवस्था हेतु उपयोग हो पाने की क्षीण सम्भावना के दृष्टिगत उक्त सम्पूर्ण धनराशि की बचत सम्भावित है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

(2) स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित व्यय निम्नलिखित कारणों से है:-

यूपीस्वान परियोजना के क्रियान्वयन हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में कोई बजट प्राविधान नहीं किया गया है। योजना के क्रियान्वयन हेतु बैण्डविड्थ प्रदान कर रही संस्था मेसर्स भारती एयरटेल लिमिटेड द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रदान की गई/जा रही सेवाओं के सापेक्ष यूपीडेस्को को प्रस्तुत किये जाने वाले बीजक में यूपीडेस्को के प्रशासनिक व्यय एवं जी.एस.टी. साथ ही बैण्डविड्थ के अनुश्रवण हेतु चयनित संस्था मेसर्स बीडीओ एलएलपी, गुडगाँव की सेवा शुल्क को सम्मिलित करते हुए वित्तीय वर्ष 2020-21 के अन्तर्गत धनराशि रु. 1000.00 लाख की व्यवस्था किया जाना आवश्यक है। यद्यपि योजना के क्रियान्वयन की वार्षिक लागत लगभग रु0 6180/- लाख के आस पास आगणित है।

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150,151,154 व 155 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

1. प्रत्येक अनुदान/विनियोग के अन्तर्गत मतदेय और भारित व्यय से संबंधित पुनर्विनियोगों के लिए अलग-अलग आवेदन प्रस्तुत किये जाने चाहिए। भारित व्यय से सम्बन्धित प्रस्तावों में लेखाशीर्ष के साथ कोष्ठक में भारित अंकित कर दिया जाय।
2. जिन लेखाशीर्षों में प्रभाव पड़ेगा उनका वर्णन ब्योरेवार अनुमानों और अनुदानों में दिये गये वर्णन के अनुरूप होना चाहिए।
3. कालम-2 तथा 8 में मूल बजट प्रावधान, अनुपूरक प्रावधान और पुनर्विनियोगों की धनराशि, जो प्रस्तावित पुनर्विनियोग के दिनांक तक संबंधित लेखाशीर्ष के अंतर्गत यथाविधि स्वीकृत हुए हों, को सम्मिलित किया जाये।
4. प्रपत्र के कालम-5, 6 व 11, 12 में वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत पुनर्विनियोग अंकित किया जायेगा।

संख्या:आर:ई 263/ई- /दस- 20- दिनांक 13-01-2021

सेवा में

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम
उ0प्र0, इलाहाबाद ।

नाम - बराती लाल
पदनाम- संयुक्त सचिव
आईटी एवं इले0 विभाग

नाम - विवेक त्रिपाठी
पदनाम- संयुक्त सचिव
वित्त विभाग

संख्या-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, उद्योग कानपुर (नियंत्रक अधिकारी)
2. मुख्य/ वरिष्ठ कोषधिकारी, लखनऊ।
3. निदेशक वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ ।
4. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (तीन प्रतियों में)

नाम - बराती लाल
पदनाम- संयुक्त सचिव
आईटी एवं इले0 विभाग